मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल अभियंता संघ

(अखिल भारतीय विद्युत अभियंता महासंघ से सम्बद्ध)

(म.प्र.राज्य विद्युत मंडल की सभी उत्तरवर्ती कम्पनियों के अभियंताओं की एकमात्र प्रतिनिधि संगठन)

पंजीयन क्रं. 12438

शेड नं. 13, विद्युत नगर, रामपुर, जबलपुर – 482008

☎ 2702090, मोबाइल – 9425152512, email-abhiyantasangh@gmail.com

क्रमांक – अ.स./म.स./2020-22/093 दिनांक 01/07/2021

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री,
म.प्र.शासन,
भोपाल (म.प्र.) ।

विषय:- **दिनांक 30.06.2021 को विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 29.06.2021 को माननीय के समक्ष ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में माननीय मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों के संबंध में।**

संदर्भ:- दिनांक 30.06.2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार **"महंगी बिजली व कंपनियों के कुप्रबंधन से मंत्री नाराज", "जनता के फीडबैक से मंत्री ठीक कह रहे, समाधान के लिये बनाओ कमेटी-शिवराज" एवं कैबिनेट में तू-तू मै-मै मुख्यमंत्री के सामने ही दो मंत्रियों में टकराव, यशोधरा बोली-खम्भे पर चढ़ने से विभाग ठीक से नहीं चलता, प्रद्युम्न का जवाब- आप प्रेंजेटेशन तो कर लेने दो, हमेशा टोकती हो** – के संबंध में ।

माननीय महोदय,

म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ प्रदेश के सहायक अभियंता से कार्यपालक निदेशक स्तर के विद्युत अभियंताओं का प्रतिनिधि संगठन है जो प्रदेश के सम्मानीय विद्युत उपभोक्ताओं को सतत गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराकर बेहतर सेवायें प्रदान करने हेतु अपने सुदीर्घ अनुभव, तकनीकी ज्ञान एवं कौशल के आधार पर शासन और प्रबंधन को रचनात्मक सुझाव प्रदान करने के साथ-साथ अभियंताओं की न्यायोचित समस्याओं / मांगों के सार्थक निराकरण हेतु सदैव प्रत्यनशील रहता है ।

अभियंता संघ माननीय का ध्यान दिनांक 30.06.2021 को प्रकाशित विभिन्न समाचार पत्रों में माननीय के समक्ष दिनांक 29.06.2021 को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में माननीय एवं अन्य मंत्रियों द्वारा की गई टिप्पणियों पर आकृष्ट करना चाहता है। प्रकाशित समाचारों में प्रथमत: **"मंहगी बिजली व कंपनियों के कुप्रबंधन से मंत्री नाराज"** शीर्षक से नई दुनिया में प्रकाशित समाचार की ओर संघ ध्यान आकृष्ट करना चाहता है, जिसमें माननीय मंत्रियों द्वारा विद्युत व्यवस्था के कुप्रबंधन पर नाराजगी जाहिर करते हुये, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर अपने-अपने विचार व्यक्त किये है। संघ माननीयों के विचारों से पूर्ण रूप से सहमत है कि पिछले 15 वर्षों में प्रबंधन द्वारा विद्युत व्यवस्था, मीटर रिडिंग बिलिंग, बिल वितरण, वसूली के संबंध में लगातार प्रयोग पर प्रयोग किये गये है एवं आज भी प्रबंधन एवं शासन स्तर पर लगातार प्रयोग किये जा रहे हैं, जिससे व्यवस्थाओं में एवं राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। प्रबंधन एवं शासन द्वारा लगातार तकनीकी विशेषज्ञों के सुझावों को दर किनार करते हुये वितरण कंपनियों में मन-मर्जी से कई अनावश्यक कार्य कराये गये है। इनके परिणाम अच्छे न आने पर अभियंताओं पर दोष डालकर उनके असफल होने की कभी भी समीक्षा नहीं की गई । समाचार पत्रों में माननीय मंत्रियों द्वारा कुछ अच्छे सुझाव यहां उद्घृत किये जा रहे है –

1. **माननीय मंत्री गोपाल भार्गव– <u>तीन बिजली कंपनियों को एक कर दिया जाये। पहले विद्युत मंडल था, वह सरकार को राशि देता था, अब सरकार इन्हे बड़ी राशि देती है ।</u>**

 अभियंता संघ पूर्व से ही लगातार तीन विद्युत वितरण कंपनियों को एक करने की मांग करता अ रहा है, जिससे पूरे मध्यप्रदेश के कार्यों में एक रूपता आने के साथ खर्चो में कमी भी आयेगी, जो अति महत्वपूर्ण है। इस संबंध में यह भी बताना आवश्यक है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े प्रदेश में केवल एक ही वितरण कंपनी कार्यरत है एवं वहां का "ए टी एण्ड सी" हानियां केवल 14% के आस-पास है, जबकि मध्यप्रदेश में तीन-तीन वितरण कंपनियां होने के बावजूद "ए टी एण्ड सी" हानियां 25% के लगभग है। मण्डल की जगह

तीन वितरण कंपनियां बनाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती सुलभ एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति थी। उसके उलट पर्याप्त विद्युत उपलब्धता होते हुऐ मंहगी बिजली एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में कमी का मुख्य कारण मैदानी अधिकारियों/ कर्मचारियों की भारी कमी एवं वितरण कंपनियों में पदस्थ प्रबंधन का कुप्रबंधन घाटे का मुख्य कारण है, जिसकी समीक्षा कर इसमें सुधार किया जा सकता है तीन वितरण कंपनियों को एक करने से ढांचागत खर्चों में कमी तथा प्रणाली में एकरूपता आयेगी । **संघ का मत है कि तीनों वितरण कंपनियों का एक करने का सुझाव जो माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी द्वारा दिया गया है, वह स्वागत योग्य है** जिससे जो एक ही प्रकार के कार्य तीन-तीन जगह होते है, उनमें एकरूपता लाकर खर्चों में भारी कमी की जा सकती है। अभियंता संघ का यह भी सुझाव है कि पूर्ववत विद्युत मण्डल बनाया जाये। एकीकृत मण्डल होने से घाटा कम होगा तथा अलग अलग कंपनियों के ओवरहेड्स कम होने से उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दी जा सकेगी है ।

1. **माननीया मंत्री यशोधरा राजे सिधिया – पहले विभाग और बिजली कंपनियों को कार्यप्रणाली को ठीक किया जाये । कई लोगों ने सवाल उठाये है ।**

इस संबंध में संघ का मानना है कि बिजली कंपनियां जो कि एक बृहद तकनीकी संस्था है जिसका प्रबंधन लगातार 15 वर्ष से व्यूरोक्रेट द्वारा चलाया जा रहा है एवं आज दिनांक तक कोई भी तय कार्यप्रणाली नही बनाई जा सकी है । क्योकि 2-3 वर्ष में प्रबंधन संचालको की नियुक्ति के साथ ही अपने-अपने विचारों के अनुसार कार्यप्रणाली बदल दी जाती है, जिससे आज तक कोई भी सुधार कंपनियों में परिलक्षित नहीं हो पाया है, जिसका दोष प्रबंधन अभियंताओं पर डालकर स्वतंत्र हो जाता है, जबकि इसकी समीक्षा शासन स्तर पर होनी चाहिये, जो आज तक नहीं हुई है । अत: संघ मांग करता है कि तकनीकी विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार कर उन्हे लागू किया जाये, जिससे कंपनियों में सुधार परिलक्षित होगा ।

2. **माननीय मंत्री श्री कमल पटेल – अस्थाई पम्प कनेक्सन के कारण बिजली की चोरी होती है । स्थाई कनेक्सन ही दिये जाये । बिजली हानि को कम करे । जब हम बिजली की दर बढ़ाते है तो व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिये ।**

माननीय मंत्री जी के सुझाव से संघ पूर्ण रूप से सहमत है कि स्थाई कनेक्सन ही दिये जाने चाहिये । इस संबंध में संघ का मत है कि पिछले दो वर्षो से शासन द्वारा स्थाई पम्प कनेक्सन की योजनाऐं बन्द है, जिससे स्थाई कनेक्सन में लगने वाली राशि का भुगतान किसानों द्वारा किया जाना संभव नहीं है इसलिये अस्थाई कनेक्सनों में बढ़ोत्तरी हुई है । अत: शासन को पुन: स्थाई पम्प कनेक्सन योजना किसानों के लिये फण्ड बढ़ा कर शुरू की जानी चाहिये जिससे अधिक से अधिक स्थाई कनेक्सन दिये जा सके एवं अस्थाई कनेक्सनों को हतोत्साहित करना चाहिये, जिससे कि पम्पों में हो रही बिजली चोरियों को रोका जा सके । इसमें संघ का यह भी मत भी है कि खेती किसानी में चोरी रोकने में शासन की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है एवं शासन/प्रशासन यदि चाहेगा तभी पम्पों की चोरियां रोकी जा सकती है ।

3. **माननीय मंत्री बिसाहूलाल सिंह – नियमित तौर पर बिजली के बिल नही आते है । बाद में एकमुक्त बड़ी राशि के बिल थोप दिये जाते है ।**

इस संबंध में संघ का मत है कि प्रबंधन मीटर रीडिंग, बिलिंग, बिल वितरण, वसूली हेतु कोई भी स्थाई व्यवस्था पिछले 15 वर्षो में नही कर पाया है, जो कि विद्युत वितरण कंपनियों में राजस्व बढ़ाने हेतु अति आवश्यक सेवा है एवं इसी के कारण बढ़े हुऐ बिल आने, गलत रीडिंग, बिल न मिलने, संबंधित शिकायतें लगातार माननीय मंत्रियों को मिलती है, जिससे विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अभियंताओं की छवि धूमिल होती है, जबकि यह सब प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण हुई अव्यवस्था है । **अत: इन कार्यों के लिये नियमित कर्मचारी रखना अति आवश्यक है । अत: शासन यदि सही में सुधार चाहता है तो इस बिन्दु पर अवश्य ध्यान दें ।**

4. **माननीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह – हमें बिजली के सिस्टम को सुधारने में भी तत्परता दिखानी होगी । यदि कही पर बिजली के खम्भे टूटते है तो उसे तुरंत बदला जाना चाहिये । इसके अलावा सौ फीसदी मीटरीकरण भी होना आज की आवश्यकता है ।**

माननीय के सुझावों से संघ पूर्णतया सहमत है कि सिस्टम को सुधारने में तत्परता दिखानी चाहिये जैसे खम्भे टूटे है तो तुरंत बदला जाना चाहिये । इस संबंध में संघ का मानना है कि यह अत्यावश्यक सेवा है जिससे सतत विद्युत प्रदाय उपभोक्ताओं को मिलती रहे है लेकिन प्रबंधन द्वारा समय पर खम्भे एवं संबंधित अन्य संसाधन उपलब्ध न कराया जाना इसका मुख्य कारण है। फील्ड अधिकारियों द्वारा जब इसका फण्ड पूरे वर्ष का मांगा जाता है तो केवल 20-25% फण्ड ही संचालन/संसाधन कार्यों को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि इस प्रकार के कार्यों को करने में देरी होती है। अत: यह व्यवस्था सुधरनी चाहिये एवं पर्याप्त फण्ड उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

100% मीटरीकरण होना अति आवश्यक है पिछले 15-20 वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकरण के कार्य कई बार हुऐ है लेकिन आज तक ग्रामीण क्षेत्रों में 70-75% मीटर नहीं लगे है या बन्द है एवं इसीलिये उनकी औसत

बिलिंग की जाती है, जिसमें कंपनी या उपभोक्ता किसी को भी नुकसान होता है। अत: इस संबंध में संघ मानता है कि सभी क्षेत्रों में 100% मीटरीकरण करते हुऐ मीटर रीडिंग की पुख्ता व्यवस्था की जाये एवं पूरी मीटर रीडिंग/बिल वितरण के कार्यो को नियमित कर्मचारी से कराकर संबंधितों की जिम्मेदारी तय की जाये, जिससे चोरियां भी कम होगी एवं कंपनियों का राजस्व भी बढ़ेगा।

5. **माननीय मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया – ट्रांसफार्मर ओवर लोड़ रहता है, इसे ठीक करना चाहिये, ट्रिपिंग ज्यादा, बिल बढ़ती दर, खराब इंफ्रा, अमले की कमी, बिजली चोरी।**

बिजली चोरी एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिये राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ-साथ अमले को बढ़ाना एवं सभी प्रकार की सुविधाये एवं सुरक्षा देना शासन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में प्रबंधन द्वारा बढ़ते हुऐ अधोसंरचना के अनुसार मानव संसाधन की कोई व्यवस्था नही की है जिसकी मांग संघ लगातार करता रहा है । प्रबंधन में सुधार करने में इच्दाशक्ति की कमी के कारण आज इस महत्वपूर्ण सेक्टर की स्थिति अत्यंत दयनीय है **। बिल की बढ़ती दरों का मुख्य कारण महंगी बिजली खरीदी एवं विद्युत चोरी है । इन पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है।**

दैनिक भास्कर की हेड लाइन में यह भी प्रकाशित हुआ है कि **यशोधरा बोली – खम्भे पर चढ़ने से विभाग ठीक से नही चलता ।** इस संबंध में संघ का मानना है कि हो सकता है कि माननीय मंत्री जी को व्यवस्था में सुधार की मंशा हो एवं इसीलिये सभी उपकेन्द्रों में कार्यालयों में जाकर निरीक्षण कर रहे है । लेकिन माननीय मंत्री से मिलकर संघ लगातार यह बताने का प्रयास कर रहा है कि मानव संसाधन की भारी कमी है, जिससे रख-रखाव का कार्य समय से नही हो पा रहा जिसके कारण माननीय मंत्री जी द्वारा निरीक्षण करने के उपरांत यदि कुछ कमियां पाई जाती है तो उसकी समीक्षा कर उन कमियों को दूर किया जाना चाहिये एवं यदि उसमें किसी अधिकारी /कर्मचारी की कमी या लापरवाही पाई जाती है तो उस पर अवश्य कार्यवाही होनी चाहिये । लेकिन माननीय द्वारा ऐसा न करके वहां पदस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों को बिना समुचित जांच मे केवल निलंबन या अन्य कार्यवाहियां की जा रही है, **जिससे माननीय मंत्री जी के ही विभाग की छवि धूमिल होने के साथ-साथ अभियंताओं कर्मचारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।** अत: संघ मांग करता है कि बिना जांच के किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही किया जाना चाहिये एवं मिली त्रुटियों की समीक्षा उपरांत संसाधन उपलब्ध कराकर त्रुटियों को दूर किया जाये ।

उदाहरण स्वरूप पिछले दिनों माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर विद्यानगर जोन भोपाल का निरीक्षण सुबह 7:00 बजे किया गया, जिसमें कुछ झाडिंयाँ पोल पर चढ़ी मिली एवं कुछ जगह गंदगी मिली, जिसको लेकर माननीय द्वारा संबंधित कार्यापालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं कनिष्ट यंत्री पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था । **संघ द्वारा जोन की समीक्षा की गई, जिसमें पाया गया कि जोन में 187 कि.मी. एलटी लाइन, 60 कि.मी. एचटी लाइन , 800 ट्रासफार्मर एवं 24000 उपभोक्ता है । रख-रखाव के नाम पर विद्यानगर जोन में केवल 2 नियमित एवं 2 आऊटसोर्स कर्मचारी है, जिन पर इतने बड़े अधोसंरचना के रख-रखाव का भार है लेकिन इसकी समीक्षा आज तक न तो मंत्री जी एवं न शासन, प्रबंधन के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा की गई।** इससे यह स्पष्ट होता है कि शासन/प्रशासन की सुधार की ओर कोई इच्छा शक्ति नही है एवं वह केवल अभियंताओं के विरूद्ध कार्यवाही कर दोष मढना चाहता है एवं भय का वातावरण बना कर कार्य कराना चाहती है, जो न तो उचित है न ही समस्या का हल है। समस्या के मूल में निहित संसाधनों की कमी, प्रबंध संचालकों के बदलते ही बदलती हुई प्राथमिकताएं, जो इस कुव्यवस्था के लिए जिम्मेवार हैं, पर ध्यान देना आवश्यक है ।

दैनिक भास्कर समाचार पत्र में यह भी प्रकाशित हुआ है कि किसानों को 21 हजार करोड़ की सब्सिडी पर मंत्रियों में बहस, सीएम ने लौटाया प्रस्ताव – ऊर्जा विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया गया था कि 21 हजार करोड़ की किसानों को दी जा रही सब्सिडी को कम कर दिया जाये, जिसमें मंत्रियों में सहमति नही थी, इसलिये माननीय द्वारा उक्त् प्रस्ताव को सुधार कर लाने हेतु ऊर्जा विभाग को लौटा दिया गया है एवं विभाग को निर्देश दिये है कि सुधारों और उपायों को भी शामिल करके बताये कि बिजली का नुकसान कैसे कम होगा एवं विभाग अपनी कार्य शैली कैसे दुरस्त करेगा । जरूरत हो तो कमेटी बना देते है जो एक सप्ताह में रिपोर्ट दे देगी ।

माननीय के ऊर्जा विभाग को दिये गये उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में संघ आपसे निवेदन करता है कि **किसानों की हितैषी एवं लोकप्रिय सरकार को किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में कमी करने से किसानों के भारी रोष का सामना करना पड़ सकता एवं सरकार ऐसे अप्रिय निर्णय कभी नहीं लेना चाहेगी।** अत: किसानों के दी जाने वाली

सब्सिडी को कम करने के विचार को त्याग देना चाहिये एवं संपूर्ण सिस्टम को कैसे दुरस्त किया जाना है, जिससे नुकसान को कम करने एवं कार्यशैली सुधारने पर विचार किया जाना चाहिये, इसके लिये अभियंता संघ जिसके पास अत्यंत अनुभवी एवं सेक्टर के जानकार अभियंताओं की प्रभावी टीम है जो, **आपके समझ कुछ सुझाव देना चाहेगा ।** अत: इस हेतु **माननीय से अनुरोध है कि समय प्रदान करने का कष्ट करें एवं यदि कमेटी बनाई जाती है तो कमेटी के समझ भी संघ सुझाव प्रेषित कर सकता है ।**

अंत में संघ माननीय से अनुरोध करता है कि शासन/प्रशासन यदि वास्तव में विद्युत सेक्टर में सुधार करना चाहता है एवं इच्छा शक्ति है तो अभियंता संघ के सुझावों पर विचार करें एवं विद्युत सेक्टर में वर्तमान में हो रही अनियमितताओं को दूर करने हेतु प्रमुख रूप से अधोसंरचना अनुसार संगठनात्मक संरचना को नया रूप देकर सभी वर्गों में नियमित भर्त्ती करे, तभी पावर सेक्टर में सुधार संभव है। वर्तमान व्यवस्था जारी रहने की स्थिति में भविष्य में मध्यप्रदेश की विद्युत व्यवस्था एवं राजस्व में और भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। संघ के मुख्य रूप से कुछ सुझाव इस प्रकार है –

1) विद्युत की गुणवत्ता में सुधार एवं राजस्व वृद्धि हेतु उच्च पदों से लेकर निचले स्तर (जैसे सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री, कनिष्ट यंत्री से सहायक यंत्री, कार्यालय सहायको एवं लाइन कर्मचारियों) तक चालू प्रभार देकर एंट्री लेवल पर रिक्त पदों को तुरंत भरा जायें ।

2) संविदा कर्मियों को नियमित करते हुये, रिक्त पदों पर वर्तमान में कार्यरत अनुभवी एवं शिक्षित आऊटसोर्स कर्मियों को संविदा में रखकर, एवं सभी आऊटसोर्स कर्मियों को कंपनियों द्वारा तेलंगाना शासन की तरह संविलियन किया जाये, जिससे लगभग रू.100 करोड़ की बचत के साथ **मध्यप्रदेश के युवावर्ग को स्थाई रोजगार प्राप्त हो सकेगा।** साथ ही बढ़ी हुई अधोसंरचना के समानुपातिक संगठनात्मक संरचना स्वीकृत कर के पद भरे जाये, **जिससे गुणवत्ता पूर्ण विद्युत व्यवस्था के साथ-साथ मध्यप्रदेश की वितरण कंपनियों में राजस्व बढ़ोत्तरी के साथ-साथ मध्यप्रदेश की बेरोजगारी की समस्या भी कम होगी ।**

3) मीटर रीडिंग /बिलिंग/बिल वितरण हेतु स्थाई कर्मी रखे जाये एवं उनकी जिम्मेदारी तय की जाये, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी एवं शिकायतों में कमी आयेगी ।

4) रख-रखाव हेतु मटेरियल एवं संसाधन उपलब्ध कराये जाये, जिससे उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति की जा सकें, जिससे शिकायतों में कमी के साथ-साथ राजस्व में भी वृद्धि होगी ।

5) कंपनियों की कार्य प्रणाली तथा उनके प्रबंधन में माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों की तरह, तकनीकी व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए।

माननीय को संघ के विचारों से अवगत कराने एवं उस पर विचार कर म.प्र.पावर सेक्टर में सुधार लाने हेतु विनम्रता के साथ सादर प्रेषित।

भवदीय

(इं.व्ही.के.एस.परिहार)
महासचिव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय ऊर्जा मंत्री, म.प्र.शासन, भोपाल (म.प्र.) ।
2. माननीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, माननीया मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी, माननीय मंत्री श्री कमल पटेल जी, माननीय मंत्री विसाहूलाल सिंह जी, माननीय मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, म.प्र.शासन भोपाल - निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को संघ के सुझाव से अवगत कराने का कष्ट करें ।
3. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), म.प्र.शासन, भोपाल (म.प्र.) ।
4. प्रबंध संचालक, म.प्र.पावर में.कं.लि., जबलपुर/भोपाल (म.प्र.) । ।
5. प्रबंध संचालक, म.प्र.मध्य/पूर्व/पश्चिम क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल/जबलपुर/इंदौर (म.प्र.)
6. प्रबंध संचालक, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन/जनरेशन कं., जबलपुर (म.प्र.) ।

Sd/-

(इं.व्ही.के.एस.परिहार)
महासचिव